न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वंदना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्या: 77/2018 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2018/00096**

रामेश्वरी देवी (प्रमेश्वरी) पत्नी श्री मनफूल जाति जाट निवासी चक 8 डी के डी हाल चक 2 पी के डी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

अपीलांट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पूगल। **रेस्पोन्डेंट**

उपस्थितः श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया अभिभाषक अपीलांट
श्री मोहम्मद इम्तियाज अली राजकिय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 29.04.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पूगल के आदेश दिनांक 22.10.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1. विवादित कृषि भूमि वाके चक 8 डी.के.डी. हाल चक 2 पी.के.डी तहसील पूगल के मु. नं. 65/35 के किला नंबर 3 ता 7, 12 ता 14, 18, 19 तादादी 10 बीघा अनकमाण्ड भूमि अपीलांट को आवंटित हुई थी, जिसका आवंटन आदेश अपीलांट को बतौर स्मॉल पेच दिनांक 15.10.1994 को जारी हुआ। उक्त आवंटित भूमि का नामांतरकरण दर्ज करने हेतु अपीलांट ने तहसीलदार पूगल के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार पूगल ने वादग्रस्त भूमि का नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश दिनांक 31.10.1994 जारी किया। जिसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा इंतकाल संख्या 30 भरकर तहसीलदार पूगल के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे तहसीलदार पूगल ने दिनांक 05.12.1994 को अस्वीकृत कर दिया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 05.12.1994 की अपील उपखण्ड अधिकारी पूगल के समक्ष प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त अपील को दिनांक 22.10.2018 को खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2. अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस कथन किया कि विवादित कृषि भूमि वाके चक 8 डी.के.डी. हाल चक 2 पी.के.डी तहसील पूगल के मु. नं. 65/35 के किला नंबर 3 ता 7, 12 ता 14, 18, 19 तादादी 10 बीघा अनकमाण्ड भूमि अपीलांट को आवंटित हुई थी, जिसका आवंटन आदेश अपीलांट को बतौर स्मॉल पेच दिनांक 15.10.1994 को जारी हुआ। उक्त आवंटनशुदा कृषि भूमि पर अपीलांट की ढाणी बनी हुई। मौके पर काबिज होकर काश्त है। उक्त आवंटित भूमि का नामांतरण दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार पूगल ने अपीलांट की भूमि का नामांतरण दर्ज करने का आदेश दिनांक 31.10.1994 का जारी किया। जिसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा इंतकाल संख्या 30 भरकर तहसीलदार पूगल के समक्ष पेश किया गया। जिसे

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तहसीलदार पूगल ने दिनांक 05.12.1994 को स्वीकृत कर दिया तथा बाद में उसी नामातरण पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व कानून को ताक पर रखकर विधि विरूद्ध तरीके से साजिश पूर्वक स्वीकृत नामांतरण के आगे 'अ' लगाकर बिना किसी प्रकार का नोट लगाये व बिना अपीलांट को सूचित किये नामांतरण को अस्वीकृत कर दिया। जबकि ऐसा करने का उन्हे कोई विधिक अधिकार नहीं था। अपीलांट को उक्त भूमि का पट्टा रामेश्वरी पत्नी श्री मनफूल के नाम जारी किया गया था, जिस इंतकाल संख्या 30 में रामेश्वरी के स्थान पर अपीलांट का नाम प्रमेश्वरी पत्नी मनफूल अंकित किया गया है, जो की कानूनी भूल है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पूगल ने स्थगन आदेश जारी कर रिकॉर्ड तलबी हेतु दिनांक 22.10.2018 मुकर्रर की मगर जैर अपील आदेश के द्वारा बिना रिकॉर्ड मंगाये बिना बहस सुने जैर अपील जारी कर दिया, जबकि वकील अपीलांट ने निवेदन किया था कि मूल इंतकाल संख्या 30 को तलब किया जावे क्योंकि ओवर राईटिंग कर स्वीकृत इंतकाल के आगे 'अ' जोड़कर अस्वीकृत लिखा गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.10.2018 निरस्त फरमाया जावे।

3. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि स्माल पैच का आवंटन गलत किया गया। जब भी स्माल पैच का जब आवंटन किया जाता है तो उसका रकबा एक ही पैच में होना चाहिए परन्तु उक्त प्रकरण में अपीलांट को भूमि आवंटन होने के पश्चात भी रकबा राज शेष रहने के कारण नामान्तरकरण अस्वीकृत किया गया है। जो नियमानुसार सही है। अतः अपील अपीलांट खरिज की जावें।

4. हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अपीलांट को आवंटित उक्त भूमि का आवंटन आदेश रामेश्वरी पत्नी मनफूल के नाम से जारी किया गया था। उक्त भूमि के नामांतरकरण संख्या 30 में रामेश्वरी पत्नी मनफूल के स्थान पर प्रमेश्वरी पत्नी मनफूल अंकित किया गया है जो मूल आवंटन आदेश से भिन्न है। साथ ही अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया है कि तहसीलदार पूगल ने नामान्तरकरण संख्या 30 को स्वीकृत कर बाद में उसी नामान्तरकरण के आगे 'अ' लगाकर नामांतरकरण को अस्वीकृत करना बताया परन्तु अभिभाषक अपीलांट की ओर से नामांतरकरण के पूर्व में स्वीकृत होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल जिला बीकानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2018 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

5. तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 29.04.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/4/24

(वंदना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर